

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अगस्त 2023—भाद्र 1, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्र. एफ-3-9-2022-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य, (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), सदस्य, संभागीय सतर्कता समिति, भोपाल संभाग, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के दिनांक 3 जनवरी 2025 तक के लिये अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.